

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2787]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 26, 2019/भाद्र 4, 1941

No. 2787]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 26, 2019/ BHADRA 4, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2019

क.आ. 3052(अ).—जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमेर), पुदुच्चेरी अधिनियम, 2008 (2008 का 19) की उप-धारा 6(2) के साथ पठित उप-धारा 5(1)(के) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गोकुलकृष्णन, संसद सदस्य (राज्य सभा) को जिपमेर, पुदुच्चेरी के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है।

[फा.सं.जैड-16013/52/2018-आईएनआई-II]

सुधांश पंत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2019

S.O. 3052(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section 5(1) (k) read with sub-section 6(2) of the Jawaharlal Institute of Post - Graduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008 (19 of 2008), Shri Gokulakrishnan, Member of Parliament (Rajya Sabha) has been elected to serve as Member of the Institute Body of JIPMER, Puducherry.

[F. No. Z-16013/52/2018-INI.II]

SUDHANSH PANT, Jt. Secy.